



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क तथा सेवाकर आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
केन्द्रीय राजस्व भवन, आई एस प्रेस रोड कोचीन - 18
C.R.BUILDING, I.S.PRESS ROAD, COCHIN-18

E-mail: cexcochi@excise.nic.in

FAX-0484-2390608

Phone : 0484-2390404

C.No II/3/3 /2013-Estt.

तारीख Dated: 10.05.2013.

आदेश सं. ORDER NO. 89/2013

विषय : स्थापना - केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षकों की श्रेणी में पदोन्नति-
संबन्धित।

Sub : Estt. – Promotion to the grade of Superintendent of Central Excise &
Customs – Reg.

केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों को रु.9,300-
34,800/- के वेतन बैंड (ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) और स्वीकृत आँय भत्तों सहित उनके उच्च पद पर
कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक, ग्रूप 'बी' पद के केडर में
कार्य करने के लिए पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति पर अधिकारी, **15.05.2013 को या उस से पहले**
पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा उनकी उच्च पद में पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा।

The following Inspectors of Central Excise & Customs are promoted to the cadre of
Superintendent of Central Excise & Customs, Group 'B' post in the pay scale of Rs.9,300- 34,800/-
(GP- Rs.4,800/-) plus such allowances with effect from the date of assuming the charge of higher
post. The promoted officers should join the higher post **on or before 15th May, 2013** failing which
their promotion to the higher post will be treated as cancelled:-

क्रम सं. Sl. No.	नाम (सर्वश्री/ श्रीमती)	Name of the Officer (S/Shri/Smt)	Date of Birth
1.	थॉमस सी.जे.	Thomas C.J.	02.05.1968
2.	श्यामलवर्णन ईराडी ए.	Shyamalavarnan Eradi A	15.07.1957
3.	प्रकाश कुमार आर.	Prakash Kumar R	25.05.1966

2 केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सीमाशुल्क अधीक्षक के केडर में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो
वर्ष की अवधि तक वे परिवीक्षाधीन रहेंगे और परिवीक्षा की अवधि संतुष्ट रूप से पूर्ण करने पर ही उन्हें
आगे की पदोन्नति/ अवधारण के लिए विचार किया जाएगा।

The officers will be on probation for a period of two years from the date of assumption of
charge as Superintendent of Central Excise & Customs and will not be considered for further
promotion / retention unless they complete the probation period satisfactorily.

3 उपर्युक्त अधिकारी, कार्मिक व प्रशिक्षण का.जा. दिनांक 26.09.81 और 05.07.99 के शर्तों के
अधीन अपना वेतन निर्धारण करने के लिए नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के
भीतर अपना विकल्प दें।

The above officers will have to exercise the option for pay fixation in terms of Department
of Personnel & Training's O.M. Dated 26.09.81 and 05.07.99 within one month from the date of
joining the new post.

4 उपर्युक्त पदोन्नतियों तारीख 28.03.2012 के OP(CAT) सं.4305/2011, OP(CAT) सं.999/2012, OP(CAT) सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012 में जारी माननीय उच्च न्यायालय आदेश तथा इस विषय पर जारी न्यायालय /अधिकरण के अन्य संबंधित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012 के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

The above promotions are subject to the outcome of SLP No.20810/ 2012 filed by the Department against High Court Order dated 28-03-2012 in OP(CAT) No.4305/2011, OP(CAT) No.999/2012, OP(CAT) No.998/2012, OP(CAT) No.968/2012 and other related orders of Courts / Tribunal on this issue.

5 वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (AGT) 2013-की जारी लंबित करने के कारण पदोन्नत अधिकारियों को उनके वर्तमान आयुक्तालयों में रखा जाता है. आयुक्तों से अनुरोध है कि AGT-2013 जारी करने तक विशिष्ट प्रभार आबंटित करने का अनुरोध करें ।

Pending the issuance of AGT -2013 the promoted officers are retained at their present Commissionerates. Commissioners are requested to allot specific charges till the issuance of AGT -2013.

6 यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।
This issues with the approval of the Competent authority.

ह/-1.05.2013

(जगदीश सिंह JAGDISH SINGH)
आयुक्त COMMISSIONER

//अनुप्रमाणित /Attested//


10/5/13

(के. विजयलक्ष्मी /K.VIJAYALAKSHMI)

प्रशासनिक अधिकारी (मु./Administrative Officer(Hqrs.))

सेवा में To

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारियों के माध्यम से)
The individuals [Through officers concerned]

प्रतिलिपि अग्रेषित/Copy Submitted to :

- 1.The Joint Secretary (Admn), Central Board of Excise & Customs, New Delhi.
- 2.The Chief Commissioner of Central Excise, Kerala Zone, C.R.Building, I.S.Press Road,Cochin.
- 3.The Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Trivandrum / Calicut / Customs Preventive Commissionerate.

प्रतिलिपि/ Copies to:

- 1.Distribution List - 1.
- 2.The Superintendent, Computer Cell, Central Excise Hqrs.Office,Cochin.
- 3.The Secretary, C. Ex. Employees Co-operative Credit Society Limited, Cochin.